[2021] 3 एस. सी. आर 776

मेसर्स कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

ग्राहकों के आयुक्त

(2018 की सिविल अपील संख्या 1827)

09 मार्च, 2021

[मुख्य न्यायमूर्ति, एस. ए. बोबडे, ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन, न्यायमूर्तिगण]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: एस. 28 (4)–कैमरों की खेप–बिल

सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रस्तुत प्रविष्टि के साथ–साथ आवरण पत्र और कैमरों के विनिर्देशों वाले साहित्य

निरीक्षक और अधीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र का सत्यापन, सीमा शुल्क उपायुक्त ने माल की जांच की और अधिसूचना No.15/2012 के संदर्भ में शुल्क से छूट के रूप में 24.3.2012 पर माल को साफ करने का निर्णय लिया।

(17.3.2012 पर जारी किया गया)–19.8.2014 पर, s के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया है। 28 (4) राजस्व खुफिया निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक ने आरोप लगाया कि सीमा शुल्क अधिकारियों को जानबूझकर गलत बयान देकर और कैमरों के बारे में तथ्यों को दबाने के लिए कैमरों को साफ करने के लिए प्रेरित किया गया था–क्या राजस्व खुफिया निदेशालय को धाराओं के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का कानूनी अधिकार था। 28 (4) शुल्क की वसूली के लिए अधिनियम का कथित रूप से नहीं लगाया गया या भुगतान किया गया जब माल को एक डिप्टी द्वारा आयात के लिए मंजूरी दे दी गई हो

सीमा शुल्क आयुक्त जिन्होंने निर्णय लिया कि माल को छूट दी गई थी

– आयोजित किया गयाः एस. 28 (4) शुल्क की वसूली का अधिकार देता है जिसका भुगतान नहीं किया गया है, आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या मिलीभगत के कारण गलती से वापस किया गया है या कोई जानबूझकर गलत काम किया गया है।

तथ्यों का कथन या दमन और "उचित अधिकारी" को वसूली की शक्ति प्रदान करता है–स्पष्ट इरादा किसी भी उचित अधिकारी को नहीं बल्कि केवल उन्हें ही ऐसे कर्तव्यों की वसूली करने की शक्ति प्रदान करना है।

" उचित अधिकारी "–इसमें कोई संदेह नहीं है कि, यदि संसद का इरादा था

कि कोई भी उचित अधिकारी एस के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता था। 28 (4) , यह 'कोई भी' शब्द का उपयोग कर सकता था–संसद ने गलती से नहीं बल्कि उस उचित अधिकारी को नामित

करने के इरादे से 'द' लेख का उपयोग किया है जिसने मंजूरी के समय माल का आकलन किया था– उचित अधिकारी वही अधिकारी होने की आवश्यकता नहीं है जिसने मंजूरी दी थी।

माल लेकिन कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी या उसी कार्यालय के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी हो सकता है–शक्ति विशेष रूप से "उचित अधिकारी" को प्रदान की गई है जो

अनिवार्य रूप से उचित अधिकारी से तात्पर्य होना चाहिए, जिसने पहली बार में माल का मूल्यांकन किया और उसे मंजूरी दी, अर्थात उपायुक्त

मूल्यांकन समूह न कि डी. आर. आई. के महानिदेशक।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: धारा 28 (4)–समीक्षा करने की शक्ति–शुल्क की वसूली करने की शक्ति की प्रकृति, जिसका भुगतान माल के बाद नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है।

मूल्यांकन किया गया है और आयात के लिए मंजूरी दी गई है, मोटे तौर पर मूल्यांकन के पहले के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है–ऐसी शक्ति किसी भी प्राधिकरण में निहित नहीं है–शक्ति विशेष रूप से "उचित अधिकारी" को प्रदान की गई है जिसका अर्थ आवश्यक रूप से उचित अधिकारी होना चाहिए, जिसने पहली बार में, मूल्यांकन किया और मंजूरी दी।

माल–एक अधिकारी, जिसने मूल्यांकन का मूल आदेश पारित नहीं किया है, को फिर से खोलने की अनुमति देना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मूल अधिकारी द्वारा इस आधार पर निर्धारण कि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था/नहीं लगाया गया था, जिसने माल को खाली करने का निर्णय लिया था और जिसने

मूल्यांकन करने के लिए सक्षम और अधिकृत था–एस द्वारा प्रदत्त शक्ति की प्रकृति। 28 (4) कर्तव्यों की वसूली करने के लिए जिनके पास है

बच गया आकलन किसी अधिनियम की प्रशासनिक समीक्षा की प्रकृति में होता है–इसलिए, इस धारा का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि ऐसी समीक्षा की शक्ति उसी अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को प्रदान की गई है जिसे मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में, एक अधिकारी जिसने मूल्यांकन किया है, वह केवल पुनर्मूल्यांकन कर सकता है– इसलिए, यह स्पष्ट है कि डीआरआई का अतिरिक्त महानिदेशक एस के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए "उचित" अधिकारी नहीं था। 28 (4) और इस मामले में वसूली कार्यवाही की शुरुआत किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना है और उत्तरदायी है

कर/कराधान को अलग रखें।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: एस. 6–कैमरों का आयात–सीमा शुल्क उपायुक्त ने माल की जांच की और माल को शुल्क से छूट के रूप में हटाने का निर्णय लिया।

एस के तहत जारी किया गया। 28 (4) राजस्व खुफिया निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक ने आरोप लगाया कि सीमा शुल्क अधिकारियों को जानबूझकर गलत बयान देकर और कैमरों के बारे में तथ्यों को दबाने के लिए प्रेरित किया गया था कि क्या डी. आर. आई. के अतिरिक्त महानिदेशक एक

उचित अधिकारी भी थे। अतिरिक्त महानिदेशक को केवल तभी एक उचित अधिकारी माना जा सकता है जब यह दिखाया जाए कि वह सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक सीमा शुल्क अधिकारी था–यह स्पष्ट है कि कर्तव्यों का पुनर्मूल्यांकन और वसूली अर्थात एस द्वारा विचार किया गया है। 28 (4) एक ही प्राधिकरण द्वारा है और किसी भी [2021] 3 एस. सी. आर. द्वारा नहीं। अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण जैसे वरिष्ठ प्राधिकारी–इसलिए यह स्पष्ट है कि डी. आर. आई. के अतिरिक्त महानिदेशक थे

एस के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए "उचित अधिकारी" नहीं। 28 (4) – यदि यह इरादा था कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, उन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्यों को सौंपा जाना चाहिए, तो यह अनिवार्य था कि केंद्र सरकार को एस के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा करना चाहिए था। 6

अधिनियम–डी. आर. आई. के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा सभी मामलों में कारणदर्शक नोटिस जारी करके शुरू की गई वर्तमान मामले में पूरी कार्यवाही कानून के किसी भी अधिकार के बिना अमान्य है और इसे दरकिनार किया जा सकता है और आगामी मांगों को भी दरकिनार कर दिया जाता है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: धारा 28 (4)–सीमा–तथ्यों का दमन

सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान–आयोजितः तथ्यों पर,

–

आयातक ने पहली जाँच के लिए कहा था और प्रवेश पत्र और विवरण के विवरण के साथ कैमरों को दिखाया था।

मॉडल–कस्टम अधिकारी एकल अनुक्रम के समय की लंबाई को देखने के लिए कैमरों को संचालित कर सकते थे और क्या एकल अनुक्रम की रिकॉर्डिंग ने कैमरे की कुल मेमोरी (विस्तारित मेमोरी सहित) को समाप्त कर दिया और क्या कैमरे छूट के लिए योग्य थे–ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है

कि तथ्यों का कोई जानबूझकर गलत कथन था–इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि पांच साल की सीमा की विस्तारित अवधि नहीं थी

एस के तहत फिर से खोलने के लिए किसी भी प्राधिकरण के लिए उपलब्ध है। 28 (4) .

विधियों की व्याख्याः यह सर्वविदित है कि जब एक कानून

यह निर्देश देता है कि चीजों को एक निश्चित तरीके से किया जाना चाहिए, इसे केवल उसी तरह से किया जाना चाहिए–सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 – एस. 28 (4)।

विधियों की व्याख्याः प्रावधान में अनुच्छेद 'द' का उपयोग

–

प्रावधान की व्याख्या।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 (4) सशक्त बनाती है

शुल्क की वसूली का भुगतान नहीं किया गया, आंशिक भुगतान किया गया या गलती से वापस कर दिया गया

मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों के दमन के कारण और "उचित अधिकारी" को वसूली की शक्ति प्रदान करता है। स्पष्ट इरादा इस तरह की वसूली करने की शक्ति प्रदान करना है। कर्तव्य किसी भी उचित अधिकारी पर नहीं बल्कि केवल "उचित अधिकारी" पर होते हैं।

[पैरा 9] [786–बी–सी] एम/एस कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v. ग्राहकों के आयुक्त

समेकित कॉफी लिमिटेड और एक अन्य वी। कॉफी बोर्ड,

बैंगलोर (1980) 3 एस. सी. सी. 358: [1980] 3 एस. सी. आर. 625; श्री इशर अलॉय स्टील्स लिमिटेड बनाम। जयस्वाल नेको लिमिटेड (2001) 3

एससीसी 609: [2001] 2 एस. सी. आर. 36–पर निर्भर।

1.2 केवल दो लेख 'ए (या ए)' और 'द' हैं। ` ए (या ए) 'को अनिश्चित अनुच्छेद के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह नहीं है विशेष रूप से किसी विशेष व्यक्ति या चीज़ को संदर्भित करता है। दूसरी तरफ

हाथ, 'द' को निश्चित अनुच्छेद कहा जाता है क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति या चीज़ को इंगित करता है और संदर्भित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि संसद का इरादा था कि कोई उचित अधिकारी धारा 28 (4) के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता था, तो वह 'कोई भी' शब्द का उपयोग कर सकती थी। [पैरा 10] [786–एफ–जी]

1.3 संसद ने "नहीं" अनुच्छेद का प्रयोग किया है।

गलती से लेकिन उचित अधिकारी को नामित करने के इरादे से जिसने निकासी के समय माल का आकलन किया था। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उचित अधिकारी वही अधिकारी होने की आवश्यकता नहीं है जो माल को साफ करता है, बल्कि कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी या उसी कार्यालय के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी हो सकता है। इस मामले में, मूल्यांकन समूह से अधिकृत कोई भी व्यक्ति। आकलन एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी वस्तु की कर्तव्यनिष्ठा का निर्धारण और सीमा शुल्क की छूट या रियायत के संदर्भ में देय शुल्क की राशि शामिल है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (2) (सी) के तहत शुल्क। [पैरा 11] [786–जी–एच; 787–ए–बी] 1.4 शुल्क की वसूली करने की शक्ति की प्रकृति, जिसका भुगतान नहीं किया गया है या माल के मूल्यांकन और मंजूरी के बाद कम भुगतान किया गया है।

आयात, मोटे तौर पर पहले के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है

मूल्यांकन। ऐसी शक्ति किसी भी प्राधिकरण में निहित नहीं है। वास्तव में, यह धारा 28 और अन्य संबंधित प्रावधानों द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रकार शक्ति विशेष रूप से "उचित अधिकारी" को प्रदान की गई है जिसका अर्थ आवश्यक रूप से उचित अधिकारी होना चाहिए, जो पहली बार में, माल का मूल्यांकन और मंजूरी देता है, अर्थात उपायुक्त मूल्यांकन समूह। वास्तव में, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें कोई राजकोषीय क़ानून नहीं दिखाया गया है कि मूल्यांकन को फिर से शुरू करने या शुल्कों की वसूली करने की शक्ति कहाँ बची है।

मूल्यांकन अधिकारी के पद के अधिकारी के अलावा एक अन्य अधिकारी को प्रदान किया गया है जिसने शुरू में माल का आकलन करने का निर्णय लिया था। [पैरा 12] [787–बी–डी] [2021] 3 एस. सी. आर.

1.5 जहाँ क़ानून प्रदर्शन करने की समान शक्ति प्रदान करता है

अलग–अलग अधिकारियों पर एक अधिनियम, जैसा कि इस मामले में, दो अधिकारी, विशेष रूप से जब वे अलग–अलग विभागों से संबंधित होते हैं, एक ही मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ एक अधिकारी ने मूल्यांकन की अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, वहाँ पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग उसी अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी द्वारा भी किया जाना चाहिए, न कि दूसरे विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, हालाँकि उसे उसी रैंक का अधिकारी नामित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप एक क़ानून का अराजक और अनियंत्रित संचालन होगा जो क़ानून के निर्माण के किसी भी कैनन द्वारा विचारित नहीं है।

[पैरा 13] [787–ई–एफ]

1.6 यह सर्वविदित है कि जब कोई कानून निर्देश देता है कि चीजों को एक निश्चित तरीके से किया जाना चाहिए, तो इसे केवल उसी तरह से किया जाना चाहिए। जैसा कि इस मामले में, जब कानून निर्देश देता है कि "उचित अधिकारी" निर्धारित कर सकता है कि शुल्क नहीं लगाया गया है/भुगतान नहीं किया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि

उचित अधिकारी लेकिन केवल वह उचित अधिकारी। यह पूरी तरह से

किसी ऐसे अधिकारी को, जिसने निर्धारण का मूल आदेश पारित नहीं किया है, इस आधार पर निर्धारण को फिर से खोलने की अनुमति देना अनुज्ञेय नहीं है कि मूल अधिकारी द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था/नहीं लगाया गया था, जिसने माल को खाली करने का निर्णय लिया था और जो सक्षम और सक्षम था।

मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत। शक्ति की प्रकृति

धारा 28 (4) द्वारा दिए गए कर्तव्यों की वसूली के लिए जो मूल्यांकन से बच गए हैं, एक अधिनियम की प्रशासनिक समीक्षा की प्रकृति में है। अतः इस धारा का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि ऐसी समीक्षा की शक्ति उसी अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी या किसी अन्य को प्रदान की गई है।

अधिकारी जिसे मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में, एक अधिकारी जो मूल्यांकन करता है, केवल पुनर्मूल्यांकन कर सकता है [जो धारा 28 (4) में शामिल है]। [पैरा 14] [788–ए–सी]

1.7 यह स्पष्ट है कि पुनर्मूल्यांकन और वसूली

धारा 28 (4) द्वारा अनुध्यात कर्तव्य एक ही प्राधिकारी द्वारा होते हैं न कि किसी उच्चतर प्राधिकारी जैसे कि अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि डी. आर. आई. के अतिरिक्त महानिदेशक धारा 28 (4) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए "उचित" अधिकारी नहीं थे और वर्तमान मामले में वसूली की कार्यवाही शुरू करना किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसे अलग किया जा सकता है।

2. क्या धारा 28 (4) के तहत वसूली नोटिस जारी करने वाले डी. आर. आई. के अतिरिक्त महानिदेशक भी उचित थे?

अधिकारी?

2.1 अतिरिक्त महानिदेशक को एक उचित अधिकारी तभी माना जा सकता है जब यह दिखाया जाए कि वह सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक सीमा शुल्क अधिकारी था। इसके अलावा, उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 6 के तहत उचित अधिकारी के कार्य सौंपे गए थे। डी. आर. आई. के अतिरिक्त महानिदेशक को सीमा शुल्क अधिकारी तभी माना जा सकता है जब उसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो। [पैरा 16] [788–एफ]

2.2 एक उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त को धारा के तहत कार्य सौंपे गए हैं। 28 , वीडियो एस. एल. नंबर 3 ऊपर। इस तथ्य के कारण कि कार्य कॉलम (3) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों के पद से ऊपर के अधिकारियों को सौंपे गए हैं,

सीमा शुल्क आयुक्त को उपायुक्त या सहायक आयुक्त को प्रदान किए गए अधिनियम की धारा 28 के तहत कार्य करने के हकदार अधिकारी के रूप में शामिल किया जाएगा, लेकिन

(34) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2। यह धारा किसी भी प्राधिकारी को अधिकारियों को कोई कार्य सौंपने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है। उप–धारा अधिनियम के परिभाषा खंड का हिस्सा है, यह केवल एक उचित अधिकारी को परिभाषित करता है। धारा 6 एकमात्र धारा है जो

सीमा शुल्क अधिकारी के कार्यों को केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों को सौंपने का प्रावधान है। [पारस 19,20] [790–ए–सी, ई]

2.3 यदि यह इरादा था कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं

सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्यों को सौंपा जाना चाहिए, यह अनिवार्य था कि केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा करना चाहिए था। केंद्र सरकार को इस तरह की शक्ति प्रदान किए जाने का कारण है –

स्पष्ट है और ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार वह प्राधिकरण है जो राजस्व खुफिया निदेशालय के दोनों अधिकारियों की नियुक्ति करती है जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.12.1957 के तहत स्थापित किया गया है और सीमा शुल्क अधिकारी जिन्हें 11.5.2002 तक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। वह अधिसूचना जो उचित कार्यों को सौंपने के लिए अभिप्रेत है

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अधिकारी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा गैर–मौजूदा शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (34) के तहत। यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से अमान्य है जो एक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई थी जिसने

किसी ऐसी धारा के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है जो ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है। [पैरा 21] [790–जी–एच; 791–ए–बी]

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम। सैयद अली और एक अन्य (2011) 3 एससीसी 537: [2011] 2 एससीआर 1045–पर निर्भर।

2.4 वर्तमान मामले में पूरी कार्यवाही डी. आर. आई. के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा कारण दर्शा कर शुरू की गई।

सभी मामलों में नोटिस कानून के किसी भी अधिकार के बिना अमान्य हैं और अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और आगामी मांगों को भी अलग कर दिया जाता है। [पैरा 23] [793–ई]

संबंधित तिथि से पाँच वर्ष, जिसका अर्थ है उस तारीख को जिस पर माल का मूल्यांकन और निकासी की गई थी, यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था या कम भुगतान किया गया था या मिलीभगत के कारण गलती से वापस कर दिया गया था। या कोई जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों का दमन। इसलिए, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या तथ्यों का दमन किया गया है।

[पैरा 24] [793–एफ–जी]

3.2 इस मामले को सीमा शुल्क अधिकारियों की जांच के लिए प्रवेश पत्र और साहित्य के साथ 20.3.2012 पर प्रस्तुत किया गया था।

कैमरों के विनिर्देशों से युक्त। बिल ऑफ एंट्री ने एक बयान दिया कि ये डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरा हैं

खुदरा बिक्री के लिए पैक (COOLPIX S4300, S2600 आदि)। यह साहित्य द्वारा समर्थित था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ". एक फिल्म के लिए एकल अधिकतम रिकॉर्डिंग समय 29 मिनट है, भले ही लंबी रिकॉर्डिंग के लिए मेमोरी कार्ड पर पर्याप्त खाली जगह हो"। इसका मतलब यह था कि भले ही कैमरा 29 मिनट से अधिक समय तक रिकॉर्ड कर सकता था जब उसके पास पर्याप्त खाली स्थान था (जो विस्तारित मेमोरी प्रदान करने वाले कार्ड की क्षमता पर निर्भर करता है) अधिकतम समय जिसके लिए वह एक अनुक्रम रिकॉर्ड कर सकता था

29 मिनट। [पारस 25, 26] [793–एच; 794–ए–बी]

3.3 दूसरे शब्दों में, कैमरा एक से अधिक एकल अनुक्रम को रिकॉर्ड कर सकता है लेकिन एक ही अनुक्रम में 30 मिनट या उससे अधिक नहीं।

यह स्पष्ट है कि उपायुक्त का विचार था कि कैमरा छूट की आवश्यकता का अनुपालन करता है अर्थात यह केवल एक अनुक्रम में 30 मिनट से भी कम समय तक रिकॉर्ड कर सकता है।

माल को छूट प्राप्त वस्तु के रूप में। यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या आयातकों ने जानबूझकर कोई गलत बयान दिया या इसका दमन किया। तथ्यों और माल की डिलीवरी को प्रेरित किया। [पैरा 27] [794–सी–डी]

3.4 आयातक ने पहला चेक माँगा था और दिखाया था

कैमरों और कैमरों को बिल ऑफ एंट्री और मॉडलों के विनिर्देशों का विवरण देने वाले साहित्य के साथ 20.3.2012 पर पेश किया गया था। कैमरे को यह देखने के लिए संचालित किया जा सकता था कि एकल अनुक्रम के समय की लंबाई और क्या एकल अनुक्रम की रिकॉर्डिंग से कैमरे की कुल मेमोरी (विस्तारित मेमोरी सहित) समाप्त हो जाती है और क्या कैमरे छूट के योग्य थे। ऐसी परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि तथ्यों का कोई जानबूझकर गलत बयान था। इन परिस्थितियों में, इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि धारा 28 (4) के तहत फिर से खोलने के लिए किसी भी प्राधिकरण के लिए पांच साल की सीमा की विस्तारित अवधि उपलब्ध नहीं थी। [पैरा 28] [794–ई–एफ]

	मामला कानून संदर्भ	
[1980] 3 एससीआर 625	पैरा 9	उस पर भरोसा करें
[2001] 2 एससीआर 36		

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2011] 2 एससीआर 1045

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1827

2018 से।

2017 के निर्णय और आदेश संख्या 58448 दिनांक 19.12.2017 से

2017 की सीमा शुल्क अपील संख्या 50099 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ

2018 की सिविल अपील सं. 1875,1832,323।

वी. लक्ष्मीकुमारन, एल. बद्री नारायणन, सुश्री चरण्या

लक्ष्मीकुमारन, आदित्य भट्टाचार्य, पवन भूषण, सुश्री उज्ज्वला उप्पलुरी, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री मौनिका कस्तूरी, सचिन शर्मा, [2021] 3 एस. सी. आर.

रूपेंद्र सिंहमार, के. गुरुमूर्ति, सुश्री उदिता सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

संजय जैन, एएसजी, एन. वेंकटरमण, एएसजी, A.K.Panda, सीनियर एड. , सुश्री निशा बागची, मेरुसागर सामंताराय, शोवन मिश्रा, बी. वी.

बलरामदास, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मुख्य न्यायमूर्ति, एस. ए. बोबडे,

1. वैधानिक अपीलों का यह समूह (सिविल अपील संख्या। 1827/2018, 1875/2018,1832/2018 और 3213/2018) धारा 130E के तहत

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ('सी. ई. एस. टी. ए. टी.') दिनांक 19 दिसंबर 2017 ('आक्षेपित आदेश') के एक सामान्य अंतिम आदेश से उत्पन्न होता है। 2. इस विवादित आदेश के तहत निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरों ('डीएसआईसी') को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई है। लिमिटेड, कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

' अपीलार्थी 'या' आयातक '), छूट अधिसूचना संख्या 20/के संदर्भ में

3. चूंकि अपीलों में सामान्य प्रश्न शामिल होते हैं, इसलिए इन पर एक साथ निर्णय लिया जा रहा है और सुविधा के लिए हम इनका उल्लेख करेंगे। निकॉन के मामले में जो घटनाएँ हुईं।

4. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कैमरों की निकासी के बाद इस आधार पर कि उन्हें बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई थी

अधिसूचना संख्या 15/2012 के तहत, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा धारा के तहत भुगतान नहीं किए गए शुल्क की वसूली के लिए शुरू की गई कार्यवाही।

28 (4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 कानून में वैध है।

छूट अधिसूचना

5. डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरों को छूट 1.3.2005 अधिसूचना No.25/2005 (और अधिसूचना द्वारा संशोधित) के माध्यम से जारी की गई थी।

17.3.2012 पर No.15/2012)।

आगमन और शून्य के भुगतान पर माल को साफ करने का निर्णय

6. कैमरों की खेप 15.3.2012 पर दिल्ली पहुंची।

आयातक ने 20.3.2012 पर सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया। बिल ऑफ एंट्री के साथ, आयातक ने कैमरों के विनिर्देशों वाला एक आवरण पत्र और साहित्य प्रस्तुत किया। इसके बाद

निरीक्षक और अधीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र का सत्यापन, आयातक ने पहले सीमा शुल्क उपायुक्त से अनुरोध किया

21.3.2012 पर जाँच करें। सीमा शुल्क अधिकारियों ने 24.3.2012 पर माल की जाँच की। उन्होंने साहित्य में दिए गए विवरण के साथ माल की तुलना की और अधिसूचना No.15/2012 के संदर्भ में शुल्क से छूट के रूप में 24.3.2012 पर माल को साफ करने का निर्णय लिया, जो था 17.3.2012 पर जारी किया गया।

कर्तव्यों की वसूली

7. 19.8.2014 पर, इसके तहत एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था।

8. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि आयात के लिए माल को मंजूरी देने का निर्णय क्योंकि उन्हें सीमा शुल्क से छूट दी गई थी अधिसूचना No.15/2012, उपायुक्त, मूल्यांकन समूह, दिल्ली एयर कार्गो द्वारा ली गई थी, कारण बताएँ नोटिस अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जारी किया गया था।

9. जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या राजस्व खुफिया निदेशालय के पास कानून के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार था

1 धारा 28 (4) जहां कोई शुल्क नहीं लगाया गया है [लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है] या गलती से वापस किया गया है, या देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है, इसके कारण से –

(ए) मिलीभगत; या

((ख) कोई जानबूझकर गलत कथन; या

(ग) तथ्यों का दमन,

आयातक या निर्यातक या आयातक या निर्यातक के अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा, उचित अधिकारी, सुसंगत तिथि से पाँच वर्षों के भीतर, शुल्क या ब्याज के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जो [इस प्रकार लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है] या जो इतना कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या जिसे गलती से धनवापसी की गई है, जिससे उसे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। शुल्क की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 28 (4) कथित रूप से तब नहीं लगाई गई या भुगतान नहीं किया गया जब माल को एक डिप्टी द्वारा आयात के लिए मंजूरी दे दी गई हो।

सीमा शुल्क आयुक्त जिन्होंने निर्णय लिया कि माल को छूट दी गई है। यह आवश्यक है कि उत्तर कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति से प्रवाहित होना चाहिए यानी अधिनियम की धारा 28 (4) के तहत। यह धारा भुगतान नहीं किए गए शुल्क की वसूली, आंशिक भुगतान या मिलीभगत के कारण गलती से धनवापसी या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने का अधिकार देती है और "उचित अधिकारी" को वसूली की शक्ति प्रदान करती है। स्पष्ट इरादा यह है कि ऐसे कर्तव्यों की वसूली करने की शक्ति किसी उचित अधिकारी को नहीं बल्कि केवल "उचित अधिकारी" को प्रदान करना। समेकित कॉफी लिमिटेड और एक अन्य बनाम कॉफी बोर्ड, बैंगलोर 2 के मामले में इस अदालत ने फैसला सुनाया हैः

" 14. ..... दूसरा, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, निश्चित का उपयोगकर्ता

'समझौता' शब्द से पहले लेख 'द', हमारे विचार में, बहुत है

महत्वपूर्ण है। संसद ने 'एक समझौता' या 'कोई समझौता' नहीं कहा है

ऐसे निर्यात के लिए या उसके संबंध में और संदर्भ में समझौता

'समझौता' अभिव्यक्ति उस समझौते को संदर्भित करेगी

जो निर्यात के अवसर पर होने वाली बिक्री में निहित है।

} }

श्री इशर अलॉय स्टील्स लिमिटेड बनाम. जयस्वाल नेको Ltd.[3]

आयोजितः

" 9. ' 'संज्ञाओं से पहले उपयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसमें एक निर्दिष्ट शब्द है।

या अनिश्चित काल के विपरीत विशिष्ट प्रभाव या

'a' या 'an' के सामान्यीकरण बल। यह निर्धारित करता है कि क्या विशेष है

चीज़ का मतलब है; अर्थात, हम किस विशेष चीज़ को मान रहे हैं

मतलब होना चाहिए '। 'का उल्लेख हमेशा किसी विशेष को दर्शाने के लिए किया जाता है।

चीज़ या व्यक्ति।

10. केवल दो लेख 'ए (या ए)' और 'द' हैं। `ए (या ए) 'है

अनिश्चित अनुच्छेद के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से किसी विशेष व्यक्ति या चीज़ को संदर्भित नहीं करता है। दूसरी ओर, 'द' को निश्चित अनुच्छेद कहा जाता है क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति या चीज़ को इंगित करता है और संदर्भित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि संसद का इरादा है कि कोई उचित अधिकारी

धारा 28 (4) के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था, यह 'कोई भी' शब्द का उपयोग कर सकता था।

11. संसद ने "द" अनुच्छेद को आकस्मिक रूप से नहीं, बल्कि आकस्मिक रूप से लागू किया है।

उचित अधिकारी को नामित करने के इरादे से जिसने निकासी के समय माल का आकलन किया था। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उचित अधिकारी

2 (1980) 3 एस. सी. सी. 358

यह आवश्यक नहीं है कि वह वही अधिकारी हो जिसने माल को मंजूरी दी हो, लेकिन कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी या उसी कार्यालय के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी हो सकता है। इस मामले में, मूल्यांकन समूह से अधिकृत कोई भी व्यक्ति। मूल्यांकन एक ऐसा शब्द है जिसमें निर्धारण शामिल है

12. शुल्क की वसूली करने की शक्ति की प्रकृति, जिसका भुगतान नहीं किया गया है या माल के मूल्यांकन और आयात के लिए मंजूरी के बाद कम भुगतान किया गया है, मोटे तौर पर मूल्यांकन के पहले के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है। ऐसी शक्ति किसी भी प्राधिकरण में निहित नहीं है। वास्तव में, यह धारा 28 और अन्य संबंधित प्रावधानों द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रकार शक्ति विशेष रूप से "उचित अधिकारी" को प्रदान की गई है जिसका अर्थ आवश्यक रूप से उचित अधिकारी होना चाहिए, जो पहली बार में, माल का मूल्यांकन और मंजूरी देता है, अर्थात उपायुक्त मूल्यांकन समूह। वास्तव में, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें कोई वित्तीय क़ानून नहीं दिखाया गया है जहाँ पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति है। उन कर्तव्यों की वसूली जो मूल्यांकन से बच गए हैं, अधिकारी के पद के अधिकारी के अलावा एक अन्य अधिकारी को प्रदान किया गया है जिसने शुरू में माल का आकलन करने का निर्णय लिया था।

13. जहाँ कानून किसी कार्य को करने के लिए समान शक्ति प्रदान करता है।

अलग-अलग अधिकारियों पर, जैसा कि इस मामले में, दोनों अधिकारी, विशेष रूप से जब वे अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं, एक ही मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ एक अधिकारी ने मूल्यांकन की अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, वहाँ पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की शक्ति का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। उसी अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी द्वारा और किसी अन्य विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं, हालांकि उसे उसी पद का अधिकारी नामित किया गया है। हमारे विचार में, इसके परिणामस्वरूप एक क़ानून का अराजक और अनियंत्रित संचालन होगा जो क़ानून के निर्माण के किसी भी कैनन द्वारा विचारित नहीं है।

4 खंड 2. परिभाषाएँ–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, –

(2) " "निर्धारण" से इस अधिनियम के तहत या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी वस्तु की कर्तव्यनिष्ठा और शुल्क, कर, उपकर या इस तरह से देय किसी अन्य राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण होता है।

(ए)।

(बी)।

(ग) शुल्क, कर, उपकर या किसी अन्य राशि की छूट या रियायत, इस अधिनियम के तहत या सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम के तहत जारी किसी भी अधिसूचना के परिणामस्वरूप या

उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत; [2021] 3 एस. सी. आर.

14. यह सर्वविदित है कि जब कोई कानून निर्देश देता है कि चीजों को एक निश्चित तरीके से किया जाना चाहिए, तो इसे केवल उसी तरह से किया जाना चाहिए। जैसा कि इस मामले में, जब कानून निर्देश देता है कि "उचित अधिकारी" कर्तव्य निर्धारित कर सकता है

नहीं लगाया गया/भुगतान नहीं किया गया, इसका मतलब कोई उचित अधिकारी नहीं है, बल्कि केवल वह उचित अधिकारी है। हम एक अधिकारी, जिसने मूल्यांकन का मूल आदेश पारित नहीं किया है, को फिर से खोलने की अनुमति देना पूरी तरह से अस्वीकार्य पाते हैं। इस आधार पर निर्धारण कि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था/नहीं लगाया गया था, मूल अधिकारी द्वारा जिसने माल को खाली करने का निर्णय लिया था और जो था

मूल्यांकन करने के लिए सक्षम और अधिकृत। की प्रकृति

उसी अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की समीक्षा जो मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में, एक अधिकारी जो मूल्यांकन करता है, केवल पुनर्मूल्यांकन कर सकता है [जो धारा 28 (4) में शामिल है]।

15. यह स्पष्ट है कि कर्तव्यों का पुनर्मूल्यांकन और वसूली अर्थात

धारा 28 (4) द्वारा अनुध्यात एक ही प्राधिकरण द्वारा है न कि किसी उच्चतर प्राधिकरण जैसे कि अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा। इसलिए, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक धारा 28 (4) और दीक्षा के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए "उचित" अधिकारी नहीं थे।

वर्तमान मामले में वसूली की कार्यवाही किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसे अलग किया जा सकता है।

16. इस स्तर पर, हमें यह भी जांचना चाहिए कि क्या अतिरिक्त

डी. आर. आई. के महानिदेशक जिन्होंने धारा 28 (4) के तहत वसूली नोटिस जारी किया, वे एक उचित अधिकारी भी थे। अतिरिक्त महानिदेशक कर सकते हैं एक उचित अधिकारी तभी

माना जाएगा जब यह दिखाया जाए कि वह सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक सीमा शुल्क अधिकारी था। इसके अलावा, उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 6 के तहत उचित अधिकारी के कार्य सौंपे गए थे। डी. आर. आई. के अतिरिक्त महानिदेशक को सीमा शुल्क अधिकारी तभी माना जा सकता है जब उसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो।

17. श्री संजय जैन, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने दिखाने के लिए अधिसूचना संख्या 17/2002–सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 7.3.2002 पर भरोसा किया

डी. आर. आई. के सभी अतिरिक्त महानिदेशकों को नियुक्त किया गया है

सीमा शुल्क आयुक्त। प्रासंगिक समय पर, केंद्र सरकार ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी थी। यह अधिसूचना

यह दर्शाता है कि कॉलम (2) में उल्लिखित सभी अतिरिक्त महानिदेशकों को सीमा शुल्क आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है।

18. अगला कदम यह देखना है कि क्या कोई अतिरिक्त महानिदेशक है

डी. आर. आई. के अधिकारी जिन्हें दिनांक 1 की अधिसूचना के तहत सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक उचित अधिकारी के रूप में धारा 28 के तहत कार्य सौंपे गए हैं। इस तर्क के समर्थन में कि उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के तहत एक उचित अधिकारी के कार्यों को सौंपा गया है, श्री संजय जैन, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना No.40/2012 दिनांक 2.5.2012 पर भरोसा किया। अधिसूचना कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अधिसूचना के कॉलम (3) में निर्दिष्ट विभिन्न कार्य प्रदान करती है। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II में प्रकाशित होने के लिए,

धारा 3, उप–धारा (ii)]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 40/2012–सीमा शुल्क (एन. टी.)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई, 2012

एस. ओ. (ई)। – उप–धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(34) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के अनुसार,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, इसके द्वारा नियुक्त करता है

स्तम्भ में उल्लिखित अधिकारी और उनके पद से ऊपर के अधिकारी (2) नीचे दी गई तालिका में, उचित अधिकारियों के रूप में कार्य

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की विभिन्न धाराओं के संबंध में दिया गया उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में: –

के तहत कार्य एस. आई.का पदनाम

नहीं। सीमा शुल्क का खंड अधिकारीगण अधिनियम, 1962

(1)

(2)

(3)

सीमा शुल्क आयुक्त

((i)

धारा 33

1 .

की उप–धारा (5)

अतिरिक्त आयुक्त

((i)

2 .

धारा 46; और

या के संयुक्त आयुक्त

((ख)

सीमा शुल्क

धारा 149

उपायुक्त या (i)

3 .

सहायक आयुक्त

((ख)

सीमा शुल्क और केंद्रीय

(iii)

((iv)

उत्पाद शुल्क

(v)

(vi)

19. ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उपायुक्त या सहायक

सीमा शुल्क आयुक्त को धारा 28 के तहत कार्य सौंपे गए हैं। नंबर 3 ऊपर। इस तथ्य के कारण कि कार्य कॉलम (3) में निर्दिष्ट अधिकारियों को सौंपे गए हैं और कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों के पद से ऊपर के अधिकारी, सीमा शुल्क आयुक्त को एक अधिकारी के रूप में शामिल किया जाएगा जो कार्य करने का हकदार होगा।

एक उपायुक्त या सहायक आयुक्त को प्रदत्त अधिनियम की धारा 28 के तहत कार्य करता है लेकिन अधिसूचना निराधार प्रतीत होती है। यह अधिसूचना कथित तौर पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (34) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। यह धारा किसी भी प्राधिकारी को अधिकारियों को कोई कार्य सौंपने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है। उप–धारा अधिनियम के परिभाषा खंड का हिस्सा है, यह केवल एक उचित अधिकारी को परिभाषित करता है, यह निम्नानुसार हैः

" 2. इस अधिनियम में परिभाषाएँ, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो।

आवश्यकता है, –

(34) ' इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में 'उचित अधिकारी' का अर्थ है सीमा शुल्क का अधिकारी जिसे बोर्ड या [सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त] द्वारा वे कार्य सौंपे गए हैं।

20. धारा 6 एकमात्र ऐसी धारा है जो सीमा शुल्क अधिकारी के कार्यों को केंद्र या राज्य के अन्य अधिकारियों को सौंपने का प्रावधान करती है।

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, यह निम्नानुसार हैः

" 6. बोर्ड और सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्यों को कुछ अन्य अधिकारियों को सौंपना–केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत बोर्ड या सीमा शुल्क के किसी भी अधिकारी के किसी भी कार्य को सशर्त या बिना शर्त सौंप सकती है।

21. यदि यह इरादा था कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, उन्हें सौंपा जाना चाहिए।

सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्यों के साथ, यह अनिवार्य था कि केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा करना चाहिए था। केंद्र सरकार को इस तरह की शक्ति प्रदान किए जाने का कारण स्पष्ट है और इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार वह प्राधिकरण है जो राजस्व खुफिया निदेशालय के दोनों अधिकारियों की नियुक्ति करती है जो मैसर्स कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v की अधिसूचना के तहत स्थापित किया गया है।

04.12.1957 वित्त मंत्रालय और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किए गए, जिन्हें 11.5.2002 तक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अधिसूचना जो सीमा शुल्क के तहत उचित अधिकारी के रूप में कार्य सौंपने का इरादा रखती है

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (34) के तहत गैर–मौजूदा शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिनियम जारी किया गया है। यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से अमान्य है क्योंकि यह एक ऐसे प्राधिकरण द्वारा जारी की गई थी जिसे किसी ऐसी धारा के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं थी जो ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है।

और अन्य जिसमें क्षेत्राधिकार के संबंध में उचित अधिकारी क्षेत्र पर विचार किया गया। विचार इस प्रकार हैः

" 16. यह प्रस्तुत किया गया था कि तत्काल मामले में, आयात घोषणापत्र और प्रवेश का बिल सीमा शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर (आयात), मुंबई के समक्ष दायर किया गया था; प्रवेश के बिल का विधिवत मूल्यांकन किया गया था, और छूट का लाभ बढ़ाया गया था।

आयातक द्वारा बांड के निष्पादन के अधीन जो था

निर्यात के दायित्व को निभाते हुए विधिवत निष्पादित किया गया। द. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निवारक का कार्य

कर्मचारी उन वस्तुओं तक सीमित होते हैं जो प्रकट नहीं होते हैं

प्रकट वस्तुओं के संबंध में, जहां प्रवेश के बिल होने हैं

दाखिल किया गया है, मूल्यांकन, मंजूरी आदि का पूरा कार्य है

के तहत काम करने वाले मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया गया

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात)।
17. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, यह होगा

अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का सर्वेक्षण करना समीचीन। अधिनियम की धारा 28, जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, प्रदान करती है –

शुल्क के भुगतान के लिए नोटिस जारी करना जो भुगतान नहीं किया गया है, या कम समय के लिए लगाया गया है या गलती से वापस किया गया है, और प्रदान करता है

कि –

" 28. शुल्क, ब्याज आदि के भुगतान के लिए सूचना–(1) जब कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है या गलती से वापस किया गया, या जब कोई देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, आंशिक भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है,

उचित अधिकारी कर सकता है,

$ (2011) 3 एससीसी 537 [2021] 3 एस. सी. आर.

(क) किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या सरकार द्वारा या किसी अन्य द्वारा किए गए किसी भी आयात के मामले में।

शैक्षिक, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्थान या

अस्पताल, एक साल के भीतर;
(ख) किसी अन्य मामले में, छह महीने के भीतर,

संबंधित तिथि से, व्यक्ति को नोटिस दें

शुल्क या ब्याज के साथ प्रभार्य जो लगाया या प्रभारित नहीं किया गया है या जो इतना कम लगाया गया है–या

आंशिक भुगतान किया गया है या जिसे गलती से धनवापसी की गई है

किया गया, जिससे उसे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिएः

बशर्ते कि जहां कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है या ब्याज नहीं लिया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या आयातक या निर्यातक या आयातक के एजेंट या कर्मचारी द्वारा मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने के कारण शुल्क या ब्याज को गलती से वापस कर दिया गया है या

निर्यातक, इस उप–धारा के प्रावधान इस तरह प्रभावी होंगे जैसे कि 'एक वर्ष' और 'छह महीने' शब्दों के लिए, शब्द

' पाँच साल 'प्रतिस्थापित किए गए थे।

18. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि उचित अधिकारी को उस सामग्री के आधार पर व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट किया जा रहा है जो उसके पास हो सकती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है या कम समय के लिए लगाया गया है या गलती से वापस नहीं किया गया है।

उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या सरकार द्वारा या किसी शैक्षणिक, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्थान या अस्पताल द्वारा,

एक वर्ष के भीतर और अन्य सभी मामलों में संबंधित तिथि से छह महीने के भीतर, प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस की सेवा का कारण बन सकता है, जिसमें उसे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे क्यों नहीं करना चाहिए।

नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करें। यह स्पष्ट है कि

उक्त प्रावधान के तहत नोटिस उचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाना है।

19. अधिनियम की धारा 2 (34) एक उचित अधिकारी को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

' 2. परिभाषाएँ।

(34) ' इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में 'उचित अधिकारी' का अर्थ है सीमा शुल्क मैसर्स कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिकारी।

जिन्हें बोर्ड द्वारा वे कार्य सौंपे गए हैं या

सीमा शुल्क आयुक्त; '

इस प्रावधान पर केवल एक नज़र डालने से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 2 (34) के संदर्भ में केवल सीमा शुल्क के ऐसे अधिकारी जिन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, वे ही उचित अधिकारी होंगे। बोर्ड या दोनों में से किसी एक द्वारा विशिष्ट कार्य सौंपना

इसलिए सीमा शुल्क आयुक्त यह निर्धारित करने के लिए शासी परीक्षण है कि क्या 'सीमा शुल्क अधिकारी' उचित है।

अधिकारी '।

20. अधिनियम की धारा 2 (34) और 28 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि केवल ऐसा सीमा शुल्क अधिकारी जिसे उस अधिकार क्षेत्र में शुल्क के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, जहां संबंधित आयात प्रभावित हुआ है, बोर्ड या बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त, अधिनियम की धारा 2 (34) के संदर्भ में अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सक्षम है। धारा 28 का कोई भी अन्य अध्ययन अधिनियम की धारा 2 (34) के प्रावधानों को इस मायने में अनुचित बना देगा कि अधिनियम की धारा 2 (34) के तहत विचार किया गया परीक्षण ऐसे कार्यों को विशिष्ट रूप से प्रदान करने का है।

23. इसलिए हम मानते हैं कि वर्तमान में पूरी कार्यवाही

डी. आर. आई. के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा हमारे समक्ष सभी मामलों में कारणदर्शक नोटिस जारी करके शुरू किया गया मामला कानून के किसी भी अधिकार के बिना अमान्य है और अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी है और आगामी मांगों को भी अलग कर दिया जाता है।

सीमा

24. सीमा पर प्रश्न का निर्णय लेना सख्त रूप से आवश्यक नहीं है, लेकिन हम ऐसा करने का इरादा रखते हैं क्योंकि पक्षों ने उस मुद्दे पर सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष किए गए खुलासों पर विस्तार से भरोसा किया है। कारण बताएँ नोटिस

19.8.2014 पर जारी किया गया था। धारा 28 (4) के तहत, इस तरह का कारण दर्शाओ नोटिस संबंधित तिथि से पांच साल के भीतर जारी किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है उस तारीख को जिस पर माल का मूल्यांकन और मंजूरी दी गई थी, यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था या कम भुगतान किया गया था या मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने के कारण गलती से वापस कर दिया गया था। इसलिए, हमारे लिए यह जांच करना आवश्यक है कि क्या तथ्यों का दमन किया गया है।

25. इस मामले को सीमा शुल्क अधिकारियों की जांच के लिए 20.3.2012 पर प्रवेश पत्र और साहित्य के साथ प्रस्तुत किया गया था जिसमें शामिल थे कैमराक विशिष्टता।

रिकॉर्डिंग "। इसका मतलब यह था कि भले ही कैमरा 29 मिनट से अधिक समय तक रिकॉर्ड कर सकता था जब उसके पास पर्याप्त खाली स्थान था (जो इस पर निर्भर करता है कि विस्तारित स्मृति प्रदान करने वाले कार्ड की क्षमता) अधिकतम समय जिसके लिए यह एक एकल अनुक्रम को रिकॉर्ड कर सकता था, 29 मिनट था।

27. दूसरे शब्दों में, कैमरा एक से अधिक एकल अनुक्रम को रिकॉर्ड कर सकता है लेकिन एक ही अनुक्रम में 30 मिनट या उससे अधिक नहीं। यह स्पष्ट है कि उपायुक्त ने यह विचार रखा कि कैमरा छूट की आवश्यकता का अनुपालन करता है अर्थात यह केवल एक अनुक्रम में 30 मिनट से भी कम समय तक रिकॉर्ड कर सकता है। इस समय, यह देखना प्रासंगिक नहीं है कि उपायुक्त ने यह लेना सही था या नहीं।

माल को छूट प्राप्त माल के रूप में हटाने का निर्णय। यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या आयातकों ने कोई जानबूझकर गलत बयान दिया या तथ्यों को दबाया और माल की डिलीवरी को प्रेरित किया।

28. यह ध्यान देने योग्य है कि आयातक ने पहली जाँच के लिए कहा था और कैमरों को दिखाया था और कैमरों को पेश किया गया था।

20.3.2012 बिल ऑफ एंट्री और मॉडलों के विवरणों का विवरण देने वाले साहित्य के साथ। कैमरे को यह देखने के लिए संचालित किया जा सकता था कि एकल अनुक्रम के समय की लंबाई और क्या एकल अनुक्रम की रिकॉर्डिंग से कैमरे की कुल मेमोरी (विस्तारित मेमोरी सहित) समाप्त हो जाती है और क्या कैमरे छूट के योग्य थे। ऐसी परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि तथ्यों का कोई जानबूझकर गलत बयान था। इन परिस्थितियों में, इसलिए, यह पालन करना चाहिए कि धारा 28 (4) के तहत फिर से खोलने के लिए किसी भी प्राधिकरण के लिए पांच साल की सीमा की विस्तारित अवधि उपलब्ध नहीं थी।

29. इस मामले को देखते हुए हम जवाब देना अनावश्यक समझते हैं।

यह मुद्दा कि जिन कैमरों को इस आधार पर मंजूरी दी गई थी कि उन्हें छूट अधिसूचना संख्या 15/2012 के तहत सीमा शुल्क से छूट दी गई थी, वे वास्तव में छूट के लिए पात्र थे या नहीं। सामान को सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा वैध रूप से मंजूरी दी गई होनी चाहिए।

30. हम ध्यान दे सकते हैं कि समान विनिर्देशों वाले कैमरों को यूरोपीय समुदायों के संयुक्त नामकरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के तहत छूट के रूप में माना गया है।

समान कैमरों को सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 और 85 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जारी छूट के तहत 17.03.2012 से पहले और 30.04.2015 के बाद योग्य माना गया है।

31. परिणामस्वरूप, इन अपीलों की अनुमति दी जाती है। सी. ई. एस. टी. ए. टी., नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 19.12.2017

नं. 50098 , 50099 , 50100 और 50280/2017 सेट किया जाता है क्योंकि तीनों के खिलाफ जारी किए गए विवादित मांग नोटिस भी अलग कर दिए जाते हैं।

32. दल अपना खर्च स्वयं उठाएंगे।